न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 51/2017

उनवान

र खां पिता स्व. सत्तार खां निवासी अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

1) श्रीमती मेराज बेगम पति शकिल जाति मुसलमान निवासी कुशलपुरा हाल हुसैनी चौक राजतालाब बांसवाडा जिला बांसवाडा।
2) मकबुल खां पिता सत्तार खां जाति मुसलमान निवासी अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाड़ा।
3) सामीर खां पिता शेरलतीफ जाति मुसलमान निवासी अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाड़ा।
4) बरकतखां पिता शेरलतीफ जाति मुसलमान निवासी अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाड़ा।
5) फिरोज खां पिता शेरलतीफ जाति मुसलमान निवासी अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाड़ा।
6) साबजल खां पिता शेरलतीफ जाति मुसलमान निवासी अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाड़ा।
7) जाहीद खां पिता शेरलतीफ जाति मुसलमान निवासी अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाड़ा।
8) हबीबनुर बेवा शेरलतीफ जाति मुसलमान निवासी अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाड़ा।
9) समन्दर खा पिता नत्थे खां जाति मुसलमान निवासी जेल रोड बांसवाडा।
10) कामन्दर खां पिता नत्थे खां जाति मुसलमान निवासी अरथुना जिला बांसवाडा।
11) शाहनुर पिता आबिद खां जाति मुसलमान निवासी अरथुना जिला बांसवाडा।
12) युसुफ पिता आबिद खां जाति मुसलमान निवासी अरथुना जिला बांसवाडा।
13) रूस्तम पिता आबिद खां जाति मुसलमान निवासी अरथुना जिला बांसवाडा।
14) अब्दुल रजाक पिता आबिद खां जाति मुसलमान निवासी अरथुना जिला बांसवाडा।
15) याहा खां पिता आबिद खां जाति मुसलमान निवासी अरथुना जिला बांसवाडा।
16) अयुब खां पिता आबिद खां जाति मुसलमान निवासी अरथुना जिला बांसवाडा।
17) हबीबुनुर बेवा आबिद खां जाति मुसलमान निवासी अरथुना जिला बांसवाडा।
18) शमशेर खां पिता शेरलतीफ जाति मुसलमान निवासी अरथुना जिला बांसवाडा।
19) इकरारबी बेवा अबुल जलाल जाति मुसलमान निवासी अरथुना जिला बांसवाडा।
20) खलील खां पिता अबुल जलाल जाति मुसलमान निवासी अरथुना जिला बांसवाडा।
21) तहसीलदार, गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:08:21 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान [illegible] अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 10.2.2021

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त [illegible] प्रकार है कि यह कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भुमि खाता संख्या 64 नया 59 पुराना [illegible] नम्बर 213 रकबा 0.24 एयर वाके ग्राम नवागांव पटवार हल्का अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.) मे [illegible] है। जिसमे वादी पैतृक समय से काश्त करता चला आ रहा है और अपनी फसल कर अपना एवं अपने परिवार का पोषण कर रहा है। वादी उपरोक्त कृषि भूमि का एकमात्र स्वामी होकर पैतृक बटवारे मे उसके हिस्से आई है तथा पैतृक समय से काश्त करता चला आ रहा है। वादी की वंशावली निम्नानुसार हैः–

प्रधानाध्यापक
प्रधानाध्यापिका

Scanned by CamScanner

वादी की वंशावली

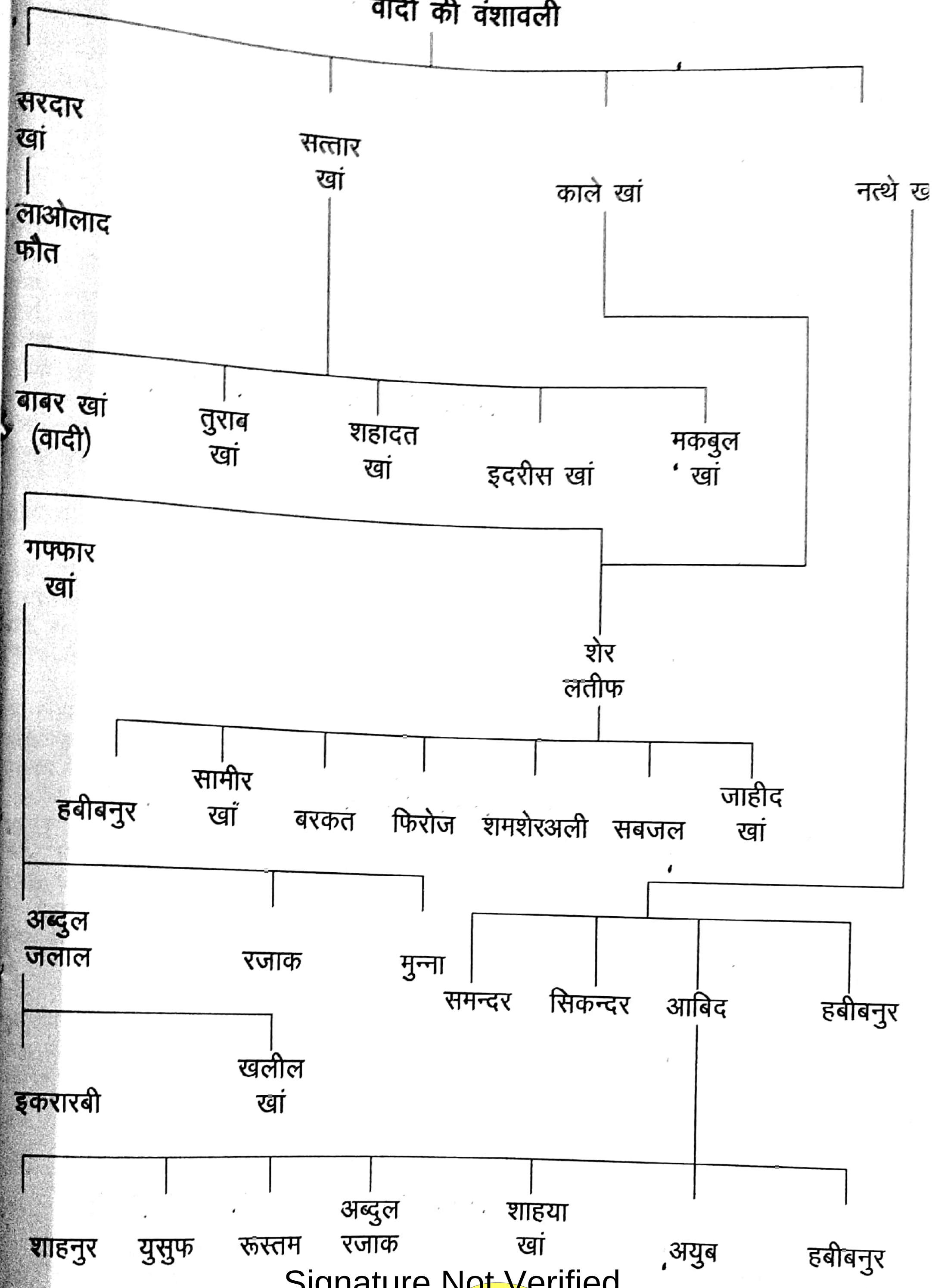

प्रतिवादीगण मे नम्बर 01 मैराज बेगम ने अपने आ[illegible] खां की पुत्री बताकर अपना नाम दर्ज करवा लिया है जबकि वह सरदार खां की पुत्री नही होकर म[illegible] सि[illegible] निवासी कुशलपुरा की पुत्री है परन्तु अपने आपको सरदार खां की पुत्री बता अपना नामान्तरण करवा लिया [illegible] इस भूमि एवं परिवार से उसका कोई लेना देना नही है। इसलिए प्रतिवादी का नाम निरस्त किया जाना [illegible]यक है व सरदार खां लाऔलाद होने से दुसरे परिजन वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 02 से 20 तक उसके वारीस होकर उनके हित एवं इस खाते में उद्भुत हो जाते है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि वादी अकेले के हिस्से मे आई है उक्त भु[illegible]र किसी भी प्रतिवादी का कोई हक एवं हित नही है परन्तु वारीसान होने से उनके नाम दर्ज रेकार्ड हो गये है। अन्य वारीस तुराब खां, शहादत खां, इदरीस खां, रजाक खां, मुन्ना, सिकन्दर खां ने उक्त भुमि पर अपना हक त्याग वादी के पक्ष में कर दिया है। जिस वजह से वादी का नामान्तकरण दर्ज हो जाने से उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है। शेष अन्य प्रतिवादीगण नम्बर 02 से 20 को भी यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:08:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

भली भांती ज्ञात है कि उक्त भुमि वादी अकेले की है उनका कोई हक एवं अधिकार इस भुमि पर नही है। उनसे वादी द्वारा कई बार निवेदन किया गया परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा वादी के हक मे उक्त खाते की भुमि हक त्याग करने अथवा हस्तान्तरण करने मे आनाकानी कर रहे है। जबकि इस भुमि पर उनका कभी भी कब्जा काश्त नही रहा। प्रतिवादीगण को यह भली भांती ज्ञात है कि वादी उक्त वर्णित खाते की भुमि का एकमात्र स्वामी है एवं उनका इस भुमि मे कोई हक अधिकार काश्त नही है, परन्तु प्रतिवादीगण उक्त भुमि से अपना नाम हटाने राजी नही है जिस वजह से वादी के हक अधिकार व कब्जा काश्त के आधार पर वादी को एकमात्र खातेदार कृषक घोषित किया जाना आवश्यक है। इस हेतु वाद अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अ. के तहत पेश हुआ।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण के नाम जारी सम्मन में से प्रतिवादी संख्या 09 के अलावा शेष के सम्मन बाद तामील प्राप्त होने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय द्वारा समय दिया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री अतिक अहमद, अभिभाषक का वकालातनामा पैश हुआ। प्रतिवादी संख्या 01 के अभिभाषक द्वारा प्रतिवादी संख्या 17 के फोत हो जाने तथा उनके वारिसान पूर्व से ही पक्षकार के रूप में संयोजित होने से प्रतिवादी संख्या 17 का नाम डिलिट कराने निवेदन किया, प्रतिवादी संख्या 17 का नाम डिलिट किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 से 08 व 10 से 16, 18 से 20 की ओर से किसी के उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी संख्या 09 के नाम पंजीकृत डाक द्वारा सम्मन जारी किया जाकर वादी अभिभाषक द्वारा पंजीकृत डाक की रसीद प्रस्तुत की गई। प्रतिवादी संख्या 09 के उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 01 के अभिभाषक को जवाब हेतु कइ अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश नही होने पर प्रतिवादी संख्या 01 का जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली वादी की साक्ष्य में नियत की जाने पर वादी की साक्ष्य के रूप में बाबर पिता स्व0 सत्तार खां का शपथ–पत्र पैश होकर साक्ष्य के शपथ–पत्र की नकल प्रतिवादी संख्या 01 के अभिभाषक को उपलब्ध कराई जाकर पत्रावली वास्ते जिरह हेतु नियत की जाने पर प्रतिवादी संख्या 0 व उनके अभिभाषक के जिरह हेतु उपस्थित नही होने पर वादी की गवाह से प्रतिवादी संख्या 01 के अभिभाषक की जिरह बन्द की जाकर पत्रावली प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु नियत की गई।

प्रतिवादी संख्या 01 एंव उनके अभिभाषक को साक्ष्य हेतु समय दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्य प्रस्तुत नही करना अवगत करातें हुऐ प्रतिवादी की साक्ष्य बन्द करवाई गई। वादी अभिभाषक द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित अन्य दस्तावेज यथा प्रकरण से सम्बन्धित अन्य प्रकरण में पारित न्यायालय का निर्णय आदि प्रस्तुत किये गये। तत्पश्चात् प्रकरण में बकुलाय की बहस सुनी गई।

बकुलाय की बहस पर मनन् एंव वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 64 (नई) 59 (पुरानी), फर्द दस्तावेज के संलग्न प्रस्तुतपूर्व प्रकरण संख्या 34/2013 जिसमें प्रतिवादी मेंराज बेगम पिता सरदार खां मुसलमान की खातेदारी को निरस्त किया जाने के निर्णय दिनांक 12.5.2015, अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 06.5.1985, शिक्षा विभाग का पाठशाला स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र आदि अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रतिवादी संख्या 01 मेराज बेगम का मूल खातेदार सरदार खां की पुत्रा के रूप में नामान्तरकरण दर्ज हुआ है जबकि वह मोहम्मद सिद्धीकी निवासी कुशलपुरा की पुत्री है।

अतः वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर पटवार हल्का अरथूना के मौजा नवगांव की जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 की खाता संख्या 64 नया 59 पुराना के सर्वे नम्बर 213 रकबा 0.24 हे0 भूमि में दर्ज खातेदारान् के नामों का अंकन हटाया जाकर वादी बाबर खां एंव उनकी की ओर से वाद के समर्थन में प्रस्तुत वंशावली अनुसार स्व0 श्री सत्तार खां के अन्य पुत्र कमशः तुराब खां, शहादत खां, इदरीस खां, मकबुल खां को उक्त भूमि के खातेदार घोषित किये जाते है।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:08:21 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर पटवार हल्का अरथूना के मौजा नवगांव की जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 की खाता संख्या 64 नया 59 पुराना के सर्वे नम्बर 213 रकबा 0.24 हे0 भूमि में दर्ज खातेदारान् के नामों का अंकन हटाया जाकर वादी बाबर खां एंव उनकी की ओर से वाद के समर्थन में प्रस्तुत वंशावली अनुसार स्व0 श्री सत्तार खां के अन्य पुत्र कमशः तुराब खां, शहादत खां, इदरीस खां, मकबुल खां को उक्त भूमि के खातेदार घोषित किये जाकर ईस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.2.2021 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अतुल प्रकाश (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 51/2017

उनवान

बाबर खां पिता स्व. सत्तार खां निवासी अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

(1) श्रीमती मेराज बेगम पति शकिल जाति मुसलमान निवासी कुशलपुरा हाल हुसैनी चौक राजतालाब बांसवाडा जिला बांसवाडा।
(2) मकबुल खां पिता सत्तार खां जाति मुसलमान निवासी अरथुना तहसील गढी ज़िला बांसवाड़ा।
(3) सामीर खां पिता शेरलतीफ जाति मुसलमान निवासी अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाड़ा।
(4) बरकतखां पिता शेरलतीफ जाति मुसलमान निवासी अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाड़ा।
(5) फिरोज खां पिता शेरलतीफ जाति मुसलमान निवासी अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाड़ा।
(6) साबजल खां पिता शेरलतीफ जाति मुसलमान निवासी अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाड़ा।
(7) जाहीद खां पिता शेरलतीफ जाति मुसलमान निवासी अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाड़ा।
(8) हबीबनुर बेवा शेरलतीफ जाति मुसलमान निवासी अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाड़ा।
(9) समन्दर खा पिता नत्थे खां जाति मुसलमान निवासी जेल रोड बांसवाडा।
10) कामन्दर खां पिता नत्थे खां जाति मुसलमान निवासी अरथुना जिला बांसवाडा।
11) शाहनुर पिता आबिद खां जाति मुसलमान निवासी अरथुना जिला बांसवाडा।
12) युसुफ पिता आबिद खां जाति मुसलमान निवासी अरथुना जिला बांसवाडा।
13) रूस्तम पिता आबिद खां जाति मुसलमान निवासी अरथुना जिला बांसवाडा।
14) अब्दुल रजाक पिता आबिद खां जाति मुसलमान निवासी अरथुना जिला बांसवाडा।
15) याहा खां पिता आबिद खां जाति मुसलमान निवासी अरथुना जिला बांसवाडा।
16) अयुब खां पिता आबिद खां जाति मुसलमान निवासी अरथुना जिला बांसवाडा।
17) हबीबुनुर बेवा आबिद खां जाति मुसलमान निवासी अरथुना जिला बांसवाडा।
18) शमशेर खां पिता शेरलतीफ जाति मुसलमान निवासी अरथुना जिला बांसवाडा।
19) इकरारबी बेवा अबुल जलाल जाति मुसलमान निवासी अरथुना जिला बांसवाडा।
20) खलील खां पिता अबुल जलाल जाति मुसलमान निवासी अरथुना जिला बांसवाडा।
21) तहसीलदार, गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 10.2.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी अभिभाषक पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर पटवार हल्का अरथूना के मौजा नवागांव की जमाबन्दी संवत 2071 से 2075 की खाता संख्या 64 नया 59 पुराना के सर्वे [illegible] 0.24 हे0 भूमि में दर्ज खातेदारान के नामों का अंकन हटाया जाकर वादी बाबर खां एंव [illegible] से वाद के समर्थन में प्रस्तुत वंशावली अनुसार स्व0 श्री सत्तार खां के अन्य पुत्र क्रमशः [illegible] खां, मकबुल खां को उक्त भूमि के खातेदार घोषित किया जाकर इस आशय की [illegible] जाती है।
नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् [illegible] मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।
बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 10.2.2021 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:08:21 IST
Reason: SelfAttested

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Scanned by CamScanner